फर्द अहकाम

न्यायालय ACM Amer Jaipur बनाम [illegible] और
सीताराम [illegible] 2022/20
मुकदमा संख्या /वर्ष 140/2017

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/6/2022	पत्रावली पेश हुई। व०फ०-उप० अनुपस्थित। पत्रावली आदेश प्रसारित नहीं किये के कारण आदेश प्रसारित नहीं किये गये। अतः पत्रावली 28/7/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	28/7/2022	पत्रावली पेश हुई। व०फ०-उप० पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली बाबत आदेश दिनांक 29/7/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	29/7/2022	पत्रावली पेश हुई। व०फ०-उप० साक्ष्य के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर रिकार्ड [illegible] हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा

आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 140/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक 16.11.2017

1. सीताराम पुत्र श्री रामदेव
2. रामगोपाल पुत्र रामदेव

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खातीपुरा का बास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामनारायण
2. मोहन लाल पुत्र रामनारायण
3. नन्दी पुत्र रामगोपाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खातीपुरा का बास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. यू.टी.आई. बैंक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. आई. सी.आई.सी आई बैंक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व घोषित किये जाने बाबत नक्शे मे सीमाएं व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955

निर्णय दिनांक- 26.07.2022

उपस्थिति :- (1) अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा - वादी की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री मितेश शर्मा - प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

हस्तगत वाद पत्र मे वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 6 बीघा, [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 5[illegible] बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 रकबा 1 बिस्वा, खसरा [illegible] खसरा नम्बर 72 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 102 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 47 बीघा 19 बिस्वा, वाके ग्राम खातीपुरा के बास तहसील आमेर जिला जयपुर मे

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

किया है। वादीगण ने अपनी तरफ से स्वेच्छया पूर्व [illegible] की आपसी सहमति के आधार पर भूमि का बंटवारा मु-बका दिनांक 24/06/1986 को विभाजन कर लिया। जिस अनुसार वादी संख्या 1 को भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 0.73 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 163 रकबा 0.63 किता खसरा नम्बर 156/414 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 161 रकबा 0.50 हैक्टेयर खसरा नम्बर 157 रकबा 0.21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 191/413 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर दी गई। जबकि विभाजन के अनुसार उन्हे 2.37 भूमि दी जानी थी। इसी प्रकार वादी संख्या 2 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.76 हैक्टेयर खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 156 रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नम्बर 160 रकबा 0.59 हैक्टेयर खसरा नम्बर 191 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नम्बर 3/412 रकबा 0.80 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि दी गई थी। जिस अनुसार वादीगण अपनी भूमि पर काबिज होकर अपनी सीमाऐं निश्चित कर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। भूमि गत खसरा नम्बर 6 के हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 0.53 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 26 रकबा 0.76 हैक्टेयर बनाये गये, जो कि गत जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल अनुसार सही दर्ज किये गये। वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 6 के पूर्व मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता कि खतेदारी भूमि थी, जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य पिछले 40 वर्षो से गत खसरा नम्बरो अनुसार सीमा चिन्ह एंव मेढबन्दी हो रखी है। जिस अनुसार ही वो काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु भू- प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के हाल खसरा नम्बर 5/470 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/272 रकबा 0.06 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की खातेदारी मे गत खसरा नम्बर अनुसार उनके नम्बर से ही बनाना अंकित किया है। प्ररन्तु यदि वर्तमान व गत नक्शे का मिलान किया जाता है तो उक्त नम्बर वादीगण के कब्जे काश्त व खतेदारी भूमि से मिलान करने पर तुलनात्मक मिलान करने पर स्पष्ट होता है यानि उक्त दोनो खसरा नम्बरान् वादीगण के कब्जे काश्त व खतेदारी भूमि से बने है जो गलत रूप से उनके खते मे दर्ज कर दिये गये है।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन मे दस्तावेज साक्ष्य मे प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुति [illegible] दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण [illegible] गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 कि तरफ से जवाब पेश नही होने पर दिनांक 18.02.2020 को जवाब बन्द किया गया। तथा दिनांक 15.03.2021 अनुपस्थित रहने पर एक पक्ष की कार्यावाही कि गई। प्रतिवादी संख्या 5 की तरफ से दिनांक 05.03.2020 को जवाब दावा पेश किया जिसमे अंकित किया कि प्रतिवादी 2 वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे अपने हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

स्वामित्व व कब्जे की भूमि को मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 आई. सी. आई. सी आई. बैंक के समक्ष ऋण रख ऋण प्राप्त किया गया था। चूंकि ऋण प्राप्त करते समय व प्राप्त करने वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि को बैंक के समक्ष रहन रख रखा है है, ऐसी स्थिती में रहन रखी हुई भूमि जो विवादित भूमि का भाग है पर बैंक का प्रथम अधिकार व भार है। ऐसी स्थिति में वादी माननीय न्यायालय से विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नही है। मिन प्रतिवादी बैंक के समक्ष अपने हक व हिस्से की भूमि को रहन रख प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ऋण प्राप्त किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 की, मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 कि प्रति 5,51,398.03 रूपये की बकाया राशि की देनदारी चली आ रही है। बैंक को अधिकार प्राप्त है कि व उसके समक्ष रहन रखी गई भूमि से बकाया ऋण राशि मय ब्याज के वसूल कर सके। ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा बकाया ऋण राशि का भूगतान मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 को नही किया गया है तो उपरोक्त परिस्थिति में मिन प्रतिवादी संख्या 5 आई. सी. आई.सी.आई बैंक को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह रहन रखी गई भूमि से उक्त बकाया राशि को मय ब्याज प्राप्त कर सके।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई:-

तनकी-1

आया वादीगण की खातेदारी भूमि के गत खसरा नम्बर 6 के हाल नक्शे में जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 5/470 रकबा 0.02 है0, 26/471 रकबा 0.03 है0, 26/472 रकबा 0.06 है0, को डिलीट कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नक्शे में अंकित की जाकर वादीगण का नक्शा गत के अनुसार घोषणा कर वादीगण की भूमि की सीमाएं गत के अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है ?

--- वादीगण

तनकी-2

आया वादीगण उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

--- वादीगण

तनकी-3

आया प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि को मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 समक्ष ऋण प्राप्त किया था ऐसी स्थिति में रहन रखी हुई भूमि जो विवादित वादग्रस्त भूमि का भाग है पर बैंक का प्रथम अधिकार व भार है, ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

--- प्रतिवादी संख्या 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरान्त साक्ष्य वादीगण हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. PW1 सीताराम पुत्र श्री रामदेव निवासी खातीयो का बास तहसील आमेर, जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2. PW2 रामगोपाल पुत्र श्री रामदेव निवासी खातीयो का बारा तहसील आमेर, जयपुर
3. PW3 प्रभूदयाल पुत्र श्री चन्दाराम निवासी ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर, जयपुर

साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिखित साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

वादी ने अभिलेख साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

1. छाया प्रति जमाबंदी दिनांक 19.09.2014 – प्रदर्श 1
2. प्रमाणित प्रति आंशिक नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खातियो का बारा – प्रदर्श 2
3. प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2071–2074 – प्रदर्श 3
4. प्रमाणित प्रति आंशिक नकल नक्शा नक्शा ट्रेस चकतराशी तरमीम –प्रदर्श 4
5. प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल खातियो का बारा – प्रदर्श 5, 6, 7
6. प्रमाणित प्रति भू–प्रबन्ध विभाग आज्ञा पत्र – प्रदर्श 8
7. प्रमाणित प्रति भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल– प्रदर्श 9

उभयपक्ष को सुना, तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :

तनकी–1

आया वादीगण की खातेदारी भूमि के गत खसरा नम्बर 6 के हाल नक्शे में जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 5/470 रकबा 0.02 हैo, 26/471 रकबा 0.03 हैo, 26/472 रकबा 0.06 हैo, को डिलीट कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नक्शे में अंकित की जाकर वादीगण का नक्शा गत के अनुसार घोषणा कर वादीगण की भूमि की सीमाएं गत के अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है ?

––– वादीगण

तनकी–2

आया वादीगण उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

––– वादीगण

तनकी संख्या 1, 2 सुविधा की दृष्टिगत एक साथ निर्णित की जा रही है। वादी द्वारा सेटलमेण्ट विभाग द्वारा विवादित आराजी की भूमि के नक्शे में परिवर्तन करने के कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये है मात्र नवीन नक्शे के आधार पर सीमाए घोषित नही की जा सकती है। वर्ष 1986 में सेटलमेण्ट होने से पूर्व की कोई जमाबंदी, गिरदावरी आदि पेश नहीं कि है, जबकि वादी का कथन है कि विगत 40 वर्षो से वादी व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि के मध्य सीमा चिन्ह व मेढबंदी है। मात्र नवीन नक्शा, नवीन जमाबंदी, एवं मिलान क्षेत्रफल के आधार पर वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्यों के अभाव मे तनकी संख्या 1 ता 2 वादी के विरूद्व निर्णित की जा[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

तनकी–3

आया प्रतिवादी संख्या 2 के [illegible] उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 समक्ष ऋण प्राप्त किया था ऐसी स्थिति में रह[illegible]खी हुई भूमि जो विवादित वादग्रस्त भूमि का भाग है पर बैंक का प्रथम अधिकार व भार है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

––– प्रतिवादी संख्या 5

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तनकी संख्या 1, 2 के निष्कर्ष से तनकी संख्या 5 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्तानुसार वादी द्वारा सेटलमेण्ट विभाग द्वारा विवादित आराजी की भूमि के नक्शे में परिवर्तन करने के कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये है मात्र नवीन नक्शे के आधार पर सीमाए घोषित नही की जा सकती है। वर्ष 1986 में सेटलमेण्ट होने से पूर्व की कोई जमाबंदी, गिरदावरी आदि पेश नहीं कि है, जबकि वादी का कथन है कि विगत 40 वर्षो से वादी व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि के मध्य सीमा चिन्ह व मेढबंदी है। मात्र नवीन नक्शा, नवीन जमाबंदी, एवं मिलान क्षेत्रफल के आधार पर वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्यों के अभाव वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर, जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर, ज0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

डिक्री मुकद्दमा इकतरफा

[illegible]

नियमित वाद संख्या 148 / 2017 — वाद प्रस्तुति दिनांक 16.11.2017

1. सीताराम पुत्र श्री रामदेव
2. राधेमोहन पुत्र रामदेव

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खतीपो का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामनारायण
2. मोहन लाल पुत्र रामनारायण
3. बद्री पुत्र रामगोपाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खतीपो का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. यू.टी आई बैंक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक ।
5. आई सी.आई.सी आई बैंक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

वाद बाबत् घोषणा व घोषित किये जाने बाबत नक्शे मे सीमाऐ व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे दस्तावेज साक्ष्य से साबित नही कर पाये अतः वाद साक्ष्य के अभाव मे अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2022 को जारी किया ।

खता——

दा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	[illegible]		
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		[illegible]		
स्टाम्प बजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मनामा			बवत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

प्रकरण सख्या - 140/2017
बउनवानी - सीताराम बनाम हनुमान वगै0
निर्णय दिनाक - 29.07.20222

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 140/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक 16.11.2017

1. सीताराम पुत्र श्री रामदेव
2. रामगोपाल पुत्र रामदेव
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खतीयों का बास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामनारायण
2. मोहन लाल पुत्र रामनारायण
3. बंशी पुत्र रामगोपाल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खतीयों का बास, तहसील आमेंर जिला जयपुर।
4. यू.टी.आई. बैक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक ।
5. आई. सी.आई.सी आई बैक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व घोषित किये जाने बाबत नक्शे मे सीमाऐ व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांकः– 29.07.2022

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा – वादी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री मितेश शर्मा – प्रतिवादी सख्या 5 की ओर से।

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 3 रकब 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकब 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकब 6 बीघा, खसरा नम्बर [illegible] बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकब 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकब [illegible] बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 रकब 1 बिघा, खसरा नम्बर 60 रकब 5 बिघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 रकब 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकब 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकब 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 102 रकब 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकब 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, कुल किता 14 कुल रकब 47 बीघा 19 बिस्वा, वाके ग्राम खातीयों क बास, तहसील आमेर जिला जयपुर मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

स्थित है। वादीगण ने अपने ताऊ राधेश्याम पुत्र सुख्खा से आपसी सहमति के आधार पर भूमि का दौराने भू–प्रबंध दिनांक 24/06/1986 को विभाजन कर लिया । जिस अनुसार वादी संख्या 1 को भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 बीघा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.53 बिस्वा, खसरा नम्बर 155/414 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.50 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 157 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191/413 रकबा 0.09 हैक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर दी गई । जबकि विभाजन के अनुसार उन्हे 2.37 भूमि दी जानी थी। इसी प्रकार वादी संख्या 2 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.76 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3/412 रकबा 0.80 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर भूमि दी गई थी। जिस अनुसार वादीगण अपनी भूमि पर काबिज होकर अपनी सीमाऐं निश्चित कर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। भूमि गत खसरा नम्बर 6 के हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 0.53 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 26 रकबा 0.76 हैक्टेयर बनाये गये, जो कि गत जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल अनुसार सही दर्ज किये गये । वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 6 के पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता कि खतेदारी भूमि थी, जिनमें वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य पिछले 40 वर्षो से गत खसरा नम्बरों अनुसार सीमा चिन्ह एवं मेडबन्दी हो रखी है। जिस अनुसार ही वो काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु भू– प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के हाल खसरा नम्बर 5/470 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/272 रकबा 0.06 हैक्टेयर प्रतिवादीगंण की खातेदारी में गत खसरा नम्बर अनुसार उनके नम्बर से ही बनाना अकिंत किया है। प्ररन्तु यदि वर्तमान व गत नक्शे का मिलान किया जाता है तो उक्त नम्बर वादीगण के कब्जे काश्त व खतेदारी भूमि से मिलान करने पर तुलनात्मक मिलान करने पर स्पष्ट होता है यानि उक्त दोनो खसरा नम्बरान् वादीगण के कब्जे काश्त व खतेदारी भूमि से बने है जो गलत रूप से उनके खते में दर्ज कर दिये गये है।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवज साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद [illegible] के [illegible] अनुसार दर्ज रजिस्टर्ड किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 3 कि तरफ से जवाब पेश नही होने पर दिनांक 18.02.2020 को जवाब बन्द किया गया। तथा दिनांक 15.03.2021 अनुपस्थित रहने पर एक पक्ष की कार्यवाही कि गई । प्रतिवादी सख्या 5 की तरफ से दिनांक 05.03.2020 को जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रतिवादी 2 वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे अपने हक

सहायक कलक्टर

स्वामित्व व कब्जे की भूमि को मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 आई. सी. आई. सी आई. बैंक के समक्ष ऋण रख ऋण प्राप्त किया गया था। चूंकि ऋण प्राप्त करते समय व प्राप्त करने वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि को बैंक के समक्ष रहन रख रखा है है, ऐसी स्थिती में रहन रखी हुई भूमि जो विवादित भूमि का भाग है पर बैंक का प्रथम अधिकार व भार है। ऐसी स्थिति मे वादी माननीय न्यायालय से विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नही है। मिन प्रतिवादी बैंक के समक्ष अपने हक व हिस्से की भूमि को रहन रख प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ऋण प्राप्त किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 की, मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 कि प्रति 5,51,398.03 रूपये की बकाया राशि की देनदारी चली आ रही है। बैंक को अधिकार प्राप्त है कि व उसके समक्ष रहन रखी गई भूमि से बकाया ऋण राशि मय ब्याज के वसूल कर सके । ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा बकाया ऋण राशि का भूगतान मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 को नही किया गया है तो उपरोक्त परिस्थिति में मिन प्रतिवादी संख्या 5 आई. सी. आई सी आई बैंक को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह रहन रखी गई भूमि से उक्त बकाया राशि को मय ब्याज प्राप्त कर सके ।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई:–

तनकी–1

आया वादीगण की खातेदारी भूमि के मत्त खसरा नम्बर 6 के हाल नक्शे में जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 5/470 रकबा 0.02 है0, 26/471 रकबा 0.03 है0, 26/472 रकबा 0.06 है0, को डिलीट कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नक्शे में अंकित की जाकर वादीगण का नक्शा मत के अनुसार घोषणा कर वादीगण की भूमि की सीमाएं मत के अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है ?

––– वादीगण

तनकी–2

आया वादीगण उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

––– वादीगण

तनकी–3

आया प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 समक्ष ऋण प्राप्त किया था ऐसी स्थिति [illegible] हुई भूमि जो विवादित वादग्रस्त भूमि का भाग है पर बैंक का प्रथम अधिकार व भार है। ऐसी स्थिति मे वादीगण विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

––– प्रतिवादी संख्या 5

तदुपरान्त साक्ष्य वादीगण हेतु वादी. पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. PW1 सीताराम पुत्र श्री रामदेव निवासी खातीयो का वास तहसील आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2. PW2 रामगोपाल पुत्र श्री रामदेव निवासी खातीयो का बास तहसील आमेर, जयपुर
3. PW3 प्रभूदयाल पुत्र श्री चन्दाराम निवासी ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर, जयपुर

साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिखित साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

वादी ने अभिलेख साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये

1. छाया प्रति जमाबंदी दिनांक 19.09.2014 – प्रदर्श 1
2. प्रमाणित प्रति आंशिक नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खातियो का बास – प्रदर्श 2
3. प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2071–2074 – प्रदर्श 3
4. प्रमाणित प्रति आंशिक नकल नक्शा नक्शा ट्रेस चकतराशी तरमीम –प्रदर्श 4
5. प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल खातियो का बास – प्रदर्श 5, 6, 7
6. प्रमाणित प्रति भू–प्रबन्ध विभाग आज्ञा पत्र – प्रदर्श 8
7. प्रमाणित प्रति भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल– प्रदर्श 9

उभयपक्ष को सुना, तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :

तनकी–1

आया वादीगण की खातेदारी भूमि के गत खसरा नम्बर 6 के हाल नक्शे में जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 5/470 रकबा 0.02 है0, 26/471 रकबा 0.03 है0, 26/472 रकबा 0.06 है0, को डिलीट कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नक्शे में अंकित की जाकर वादीगण का नक्शा गत के अनुसार घोषणा कर वादीगण की भूमि की सीमाएं गत के अनुसार घोषित की जाकर नक्शा दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है ?

––– वादीगण

तनकी–2

आया वादीगण उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

–––– वादीगण

तनकी संख्या 1, 2 सुविधा की दृष्टिगत एक साथ निर्णित की जा रही है। वादी द्वारा सेटलमेण्ट विभाग द्वारा विवादित आराजी की भूमि के नक्शे में परिवर्तन करने के कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये है मात्र नवीन नक्शे के आधार पर सीमाए घोषित नही की जा सकती है। वर्ष 1986 में सेटलमेण्ट होने से पूर्व की कोई जमावंदी, गिरदावरी आदि पेश नहीं कि है, जबकि वादी का कथन है कि विगत 40 वर्षो से वादी व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि के मध्य सीमा चिन्ह व मेढबंदी है। मात्र नवीन नक्शा, नवीन जमावंदी, एवं मिलान क्षेत्रफल के आधार पर वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्यों के अभाव में तनकी संख्या 1 ता 2 वादी के विरूद्व निर्णित की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

तनकी–3

आया प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त [illegible] को मिन उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 समक्ष ऋण प्राप्त किया था ऐसी स्थिति में [illegible] रखी हुई भूमि जो विवादित वादग्रस्त भूमि का भाग है पर बैंक का प्रथम अधिकार व भार है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

––– प्रतिवादी संख्या 5

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 140 / 2017
बजनवानी – सीताराम बनाम हनुमान वगै0
निर्णय दिनांक – 29.07.20222

तनकी संख्या 1, 2 के निष्कर्ष से तनकी संख्या 5 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

आदेश

उपरोक्तानुसार वादी द्वारा [illegible] विभाग द्वारा विवादित आराजी की भूमि के नक्शे मे परिवर्तन करने के कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये है मात्र नवीन नक्शे के आधार पर सीमाए घोषित नही की जा सकती है। वर्ष 1986 में सेटलमेण्ट होने से पूर्व की कोई जमाबंदी, गिरदावरी आदि पेश नही कि है, जबकि वादी का कथन है कि विगत 40 वर्षो से वादी व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि के मध्य सीमा चिन्ह व मेढबंदी है। मात्र नवीन नक्शा, नवीन जमाबंदी, एवं मिलान क्षेत्रफल के आधार पर वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्यों के अभाव वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 140 / 2017
बउनवानी – सीताराम बनाम हनुमान वगै0
निर्णय दिनांक – 29.07.2022

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 140 / 2017 — वाद प्रस्तुति दिनांक 16.11.2017

1. सीताराम पुत्र श्री रामदेव
2. रामगोपाल पुत्र रामदेव

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खतीयों का बास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

1. हनुमान पुत्र रामनारायण
2. मोहन लाल पुत्र रामनारायण
3. बंशी पुत्र रामगोपाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खतीयों का बास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. यू.टी.आई. बैक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक ।
5. आई. सी.आई.सी आई बैक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा व घोषित किये जाने बाबत नक्शे मे सीमाऐ व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955</u>

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य से साबित नही कर पाये अतः वाद साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2022 को जारी किया ।

खत----
दा---

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मु[illegible]ह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		[illegible]	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह राबूत			स्टाम्प वजह राबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		